Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Odisha/1/Rourkela Steel plant /2016/RU-III **Date: 24.02.2020**

To,

1. The Secretary,
Ministry of Steel,
Govt. of India,
Udyog Bhavan
New Delhi - 110011

2. Chief Secretary,
Govt. of Odisha,
Bhubaneswar (Odisha)

3. The Chairman,
Steel Authority of India,
Ispat Bhawan, Lodhi Road
New Delhi -110033

4. Principal Secretary,
Revenue & Disaster Department,
Govt of Odisha,
Surya Nagar, Bhubaneswar (Odisha) 751025

5. The Commissioner – Cum – Secretary,
SCs & STs Development Deptt.,
Govt. of Odisha,
Bhubaneswar (Odisha)

6. The Collector,
District Sundargarh,
Odisha

7. Chief Executive Officer,
Steel Plant, Rourkela,
Sundargarh (Odisha)

Sub: Minutes of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST on 16.01.2020 on the issue of by Implementation of Recommendations of the Commission on Rehabilitation Resettlement and employment of Displaced ST families.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 16-01-2020 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within one month.

Encl: As above

Yours faithfully

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy to:

1. Shri Lachhu Oram, Village Tangarpali (Somra Basti) Post Tangrapali, Rourkela District Sundargarh (Odisha)
2. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Odisha/1/Rourkela Steel Plant /2016 /RU-III)

श्री लच्छू उरांव और अन्य द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्स्थापन और रोजगार संबंधी समस्या के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 16.01.2020 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि- 16.01.2020

बैठक में उपस्थित अधिकारी- परिशिष्ट

---

1. श्री लच्छू उरांव और अन्य द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्स्थापन और रोजगार संबंधी समस्या के विषय में आवेदन दिया था।
2. प्रकरण में दिनांक 18.10.2019 को आयोग द्वारा बैठक आहूत की गई थी जिसमें निम्नलिखित अनुशंसा की गई थी :-

   - सरना पूजास्थल की 7.62 एकड़ जमीन जल्द से जल्द सरना समिति को हस्तांतरित किया जाए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा समिति को उक्त जमीन पर वास्तविक कब्जा दिलाया जाए।
   - आरएसपी में नौकरी दिए जाने के मामले की एक अलग से कमेटी बनाकर जांच की जाए और आरएसपी तथा राज्य सरकार 1098 की सूची के बाहर जाकर भी बाकी 614 लोगों की सूची से रोजगार देने की कार्रवाई करे क्योंकि 1098 की सूची भी त्रुटिपूर्ण थी। इस संबंध में न्यायपालिका को सही तथ्यों से अवगत कराते हुए बचे हुए लोगों को प्रक्रियानुसार रोजगार दिया जाए।
   - राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन जिसका उपयोग राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा उपयोग नहीं किया गया है और खाली पड़ी है उसे विस्थापित परिवारों को वापस लौटाना चाहिए।
   - जिला प्रशासन द्वारा विस्थापितों के गांवों को चिह्नित करके ग्राम पंचायत में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनको बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो सके।
   - राज्य सरकार द्वारा निजी पार्टियों को गलत तरीके से आवंटित 5,000 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द किया जाना चाहिए। उक्त जमीन को अनुसूचित जनजातियों को वापस लौटाया जाना चाहिए।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- टाउनशिप में दुकानों के आवंटन में भी विस्थापितों को प्राथमिकता एवं आरक्षण दिया जाना चाहिए।

3. प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 16.01.2020 को बैठक निर्धारित की गई। बैठक के लिए दिनांक 06.01.2020 को सचिव, इस्पात मंत्रालय, मुख्य सचिव, ओडिशा शासन, अध्यक्ष, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, प्रधान सचिव, राजस्व व आपदा विभाग, आयुक्त सह सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति विकास विभाग, जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस्पात संयंत्र राउरकेला को नोटिस जारी किया गया।
4. बैठक में आयोग द्वारा पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। अभ्यावेदक ने बताया कि वर्ष 2002 में नौकरी के लिए चयनित हुए थे लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिली, कंपनी की ओर से कोई मुआवजा या जमीन के बदले जमीन भी नहीं मिला। लगभग 64 एकड़ जमीन आरएसपी में चली गयी।
5. सेल के प्रतिनिधि अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1993 में सेल और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त कमेटी गठित की गई थी। कमेटी के द्वारा 1098 विस्थापित लोगों की सूची बनाई गई थी जिन्हें नौकरी दिया जाना था। आरएसपी के द्वारा अब तक 883 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है बाकी लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है। विस्थापित लोगों की तीसरी पीढ़ी अब नौकरी की मांग कर रही है।
6. राजस्व विभाग, ओडिशा के अधिकारी ने बताया कि खाता नंबर के आधार पर विस्थापितों की पहचान, सेल और राज्य सरकार की कमेटी द्वारा की गई थी। इसमें अभ्यावेदक लच्छू ओराम के परिवार को मुआवजा दिया जा चुका है। देवगढ़ जिले में उन्हें जमीन दिया गया था जिसे उन्होंने लेने से मना कर दिया।
7. अभ्यावेदक ने बताया कि राज्य सरकार की कमेटी के सिफारिश के अनुसार 1098 लोगों को आरएसपी द्वारा नौकरी दिया जाना था लेकिन प्रबंधन द्वारा उस सूची के बाहर के 405 लोगों को नौकरी दिया गया है। ये कौन लोग है इसके बारे में प्रबंधन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। जिला प्रशासन के द्वारा उन लोगों की सूची का समर्थन भी नहीं किया गया था। आरएसपी के द्वारा दूसरे लोगों को नौकरी दी जा रही है लेकिन विस्थापितों को नौकरी नहीं दी जा रही है। प्रशासन के द्वारा मुआवजे के रूप में उन्हें जलदा में रहने की जमीन दी गई और वहां से 150 किमी. दूर खेती की जमीन दी गई थी जिसे उनके पूर्वजों के द्वारा नहीं लिया गया क्योंकि वहां खेती कर जीवन-यापन संभव नहीं था।
8. जिला कलेक्टर सुंदरगढ़ ने बताया कि प्रकरण के निपटारे के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। खाते के आधार पर विस्थापितों के पुनर्वास के लिए प्रयास किया जा रहा है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9. सेल के अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1993 में विस्थापितों की सूची बनने से पहले भी उन्हें नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही थी जिसके तहत 405 लोगों को चिह्नित किया गया था, उन्हें नौकरी दिया गया। वर्ष 93 में 1098 लोगों की सूची बनी जिसमें 883 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है शेष 111 लोगों को नौकरी देनी है। लच्छू ओराम के द्वारा 163 लोगों की सूची दी जा रही है। इनमें से किन 111 लोगों की पहचान की जाए, यह तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि विस्थापितों की पहचान करें उनकी सूची नौकरी के लिए आरएसपी को प्रेषित करे। विस्थापितों को प्रति परिवार नौकरी दिया जाना तय हुआ था अब एक परिवार के 15 लोग नौकरी मांग रहे हैं।

10. मामले में आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की गई:-

- राज्य सरकार और आरएसपी के द्वारा यह सर्वे किया जाना चाहिए कि आरएसपी के कारण कुल कितने परिवार विस्थापित हुए। इसमें कितने लोगों को नौकरी दी गई और कितने लोगों को मुआवजे के रूप में भूमि दी गई।
- मुआवजे के रूप में प्रदान की गई भूमि कृषि योग्य है अथवा नहीं उसकी प्रकृति कैसी है तथा विस्थापितों के आवास से कितना दूर है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।
- कितने विस्थापितों को अब तक नौकरी प्रदान की जा चुकी है और कितने लोग शेष बचे हैं। शेष बचे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आरएसपी के द्वारा नौकरी दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि वे उपलब्ध न हों तो 163 लोगों की सूची में से आर.एस.पी में रोजगार दिया जाना चाहिए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

14.02.2020

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- Odisha/1/Rourkela Steel Plant /2016 /RU-III)

श्री लच्छू उरांव और अन्य द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्स्थापन और रोजगार संबंधी समस्या के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 16.01.2020 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) डॉ. नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष
  - (2.) श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीय सदस्या
  - (3.) श्री के. तऊथांग संयुक्त सचिव
  - (4.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (5.) श्री आर.के दुबे, स. निदेशक
  - (6.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार**
  - (1.) श्री पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव
  - (2.) श्री गिरराज प्रसाद मीणा, निदेशक
- **ओडिशा शासन के अधिकारी**
  - (1.) श्री आर. एन. पलाई, विशेष सचिव, राजस्व व आपदा विभाग
- **सेल के अधिकारी**
  - (1.) श्री अतुल श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक)
  - (2.) श्री के. के. सिह, ईडी, सीओ
- **राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारी**
  - (1.) श्री दीपक चटर्जी, सीईओ, आरएसपी
- **जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ (ओडिशा)**
  - (1.) श्री निखिल पवन कल्याण, कलेक्टर, सुंदरगढ़
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री लच्छू ओराम